



अ.शा. पत्र सं. 11034/12/2022-रा.भा.(नीति)

दिनांक: 24 जून, 2022

आधिकारिक मंत्रालय / गृह मंत्रालय

विषय: 14-15 सितंबर, 2022 को सूरत (ગुजरात) में हिंदी दिवस, द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन एवं वर्ष 2022 के हिंदी पखवाड़ा के आयोजन के संबंध में।

संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया और तब से ही इस दिवस की सूति में, प्रतिवर्ष 14 सितंबर 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा द्वारा सौंपे गए संवैधानिक और प्रशासनिक उत्तरदायित्वों तथा संविधान की भावना के अनुरूप तथा प्रेरणा, प्रोत्साहन और सन्दर्भावना की नीति के साथ, राजभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार करने और इसके प्रयोग को बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जाते हैं।

2. गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग संघ के सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने और समस्त सांविधिक एवं कानूनी उपबंधों का पालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, अनेक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है। इन्हीं उत्तरदायित्वों की एक कड़ी के रूप में विभाग द्वारा प्रतिवर्ष हिंदी दिवस का आयोजन दिल्ली में किया जाता रहा है। बेहद हर्ष का विषय है कि इस वर्ष हिंदी दिवस का आयोजन माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में अत्यन्त भव्य एवं गरिमामयी स्वरूप में पहली बार दिल्ली से बाहर सूरत (गुजरात) में किया जाएगा। हिंदी दिवस एवं दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का यह सम्मिलित आयोजन 14-15 सितंबर, 2022 को सूरत में होगा।

3. हिंदी का उत्साहवर्धक वातावरण सृजित करने और इस कार्यक्रम में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति को देखते हुए, अनुरोध है कि सभी मंत्रालय/विभाग/सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय/बैंक/उपक्रम/निगम/बोर्ड इत्यादि हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम 14 से 29 सितंबर के दौरान ही मनाना सुनिश्चित करें और विभिन्न प्रतियोगिताएं इसी अवधि के दौरान आयोजित करें। कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार बनाई जाए कि प्रत्येक कार्यालय के हिंदी दिवस का शुभारंभ 14 सितंबर 2022 को सूरत, गुजरात से हो और समापन 29 सितंबर, 2022 को संबंधित कार्यालय में हो। मंत्रालयों/विभागों आदि में हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताएं 16 सितंबर के बाद सम्पन्न कराई जाएं। मंत्रालय/विभाग/सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय/बैंक/उपक्रम/निगम/बोर्ड इत्यादि अपनी सुविधानुसार इस अवधि के उपरांत हिंदी माह भी आयोजित कर सकते हैं। इस दौरान इस तरह के आयोजन किए जाएं, जो अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करें। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रमों का यह भी उद्देश्य होना चाहिए कि हिंदी में मौलिक कार्य जैसे टिप्पणी, मसौदे, पत्राचार आदि को बढ़ाया


.....2/-

जा सके। यह भी अनुरोध है कि सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में हिंदी पखवाड़े का मुख्य समारोह/पुरस्कार वितरण समारोह पखवाड़े के अंतिम दिन 29 सितंबर, 2022 (बृहस्पतिवार) या उसके बाद आयोजित किया जाए।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा सभी कार्मिकों को राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976, राजभाषा संकल्प, 1968 और समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति से संबंधी जारी दिशा-निर्देशों से अवगत करवाया जाए। साथ ही सरकारी कार्य में सरल और सहज हिंदी के प्रयोग पर विशेष बल दिया जाए। वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में राजभाषा नीति जोकि, प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सदभावना पर आधारित है, के संबंध में चर्चा की जाए। अधिकारियों/ कार्मिकों को स्मृति आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर 'कंठस्थ' के अधिकाधिक प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए। प्रसंगवश यह भी उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख का यह उत्तरदायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम, नियम तथा इनके अंतर्गत समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराए।

5. आपसे अनुरोध है कि अपने मंत्रालय/विभाग के राजभाषा से जुड़े सभी अधिकारियों एवं मंत्रालय के कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को सूरत में होने वाले हिंदी दिवस एवं दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होने का निर्देश दें (संबंधित विस्तृत जानकारी राजभाषा विभाग की साइट rajbhasha.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। कृपया सभी सम्बद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों/बैंकों/ उपक्रमों/ बोर्डों/ निगमों आदि को भी ऐसे ही निर्देश मंत्रालय की ओर से जारी किए जाएं। उनके राजभाषा अधिकारी भी अनिवार्य रूप से 14-15 सितंबर, 2022 को सूरत, गुजरात में होने वाले कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित करें।

श्रुमकामनाओं स्थिति

शुभेच्छा,

(अंशुली आर्या)

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव